राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: cce_raj@yahoo.com Ph.: 0141-2706847 (O)

पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/SLGKC/ 2019/ ८११ Date: 06July 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय :– दिनांक 13.07.2019 को आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नपत्र एवं ओ.एम.आर.सीट को संबंधित नोडल महाविद्यालय से प्राप्त करने के संबध में।

संदर्भ :– आयुक्तालय का पत्रांक 893 दिनांक 04.07.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 13.07.2019 को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा हेतु समस्त परीक्षा सामग्री (प्रश्न पत्र एव ओएमआरसीट) आयुक्तालय स्तर से उपलब्ध करवायी जावेगी । इस व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिये जिला स्तर पर 33 नोडल महाविद्यालय नामित किये गये है।

इसी क्रम में लेख है कि परीक्षा सामग्री संभाग मुख्यालयों पर दिनांक 10.07.2019 को पहुंच जावेगी। संभाग मुख्यालयों से सभी महाविद्यालयों में परीक्षा सामग्री पहुंचाने हेतु 33 जिलो में 33 नोड़ल महाविद्यालय बनाये गये हैं। नोडल महाविद्यालय संभाग मुख्यालय से दिनांक 11.07.2019 को यह सामग्री प्राप्त करेगें। महाविद्यालय अपने से संबंधित नोड़ल केन्द्र से दिनांक 12.07.2019 को उक्त सामग्री अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगें।

परीक्षा समाप्ति के बाद एक जिले के सभी महाविद्यालय दिनांक 14.07.2019 को समस्त परीक्षा सामग्री(ओएमआर सीट, बचे हुये प्रश्नपत्र एवं मेरे जीवन का लक्ष्य पत्र) संबंधित नोड़ल महाविद्यालय में जमा करवायेगें। प्रभारी, नोड़ल महाविद्यालय प्राप्त सामग्री को संभाग मुख्यालय पर दिनांक 15.07.2019 तक आवश्यक रूप से पहुंचाएगें। संभाग मुख्यालय यह सामग्री दिनांक 16.07.2019 की प्रातः 11 बजे तक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा/यथानिर्देशित केन्द्र तक पहुचाऐगें।

अन्य निर्देश –

1. महाविद्यालय विद्यार्थी द्वारा मेरे जीवन का लक्ष्य की गई प्रविष्ठि को आवेदन पत्र से अलग करके उस पर रोल नंबर डालते हुये, उसे भी ओएमआर सीट के साथ एक अलग पैकेट में आयुक्तालय को भिजवायेगें।

2. परीक्षा आयोजन हेतु अन्य समुचित व्यवस्थाएं यथा बैठक, पेयजल आदि महाविद्यालय अपने स्तर किया जाना सुनिश्चित करें।

3. महाविद्यालय परीक्षा रोल नंबर आवंटन की सूचना को विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिये स्थानीय समाचार पत्र/नोटिस बोर्ड/विद्यार्थी समूह आदि की सहायता लें।

4. महाविद्यालय प्रत्येक 24 विद्यार्थी समूह पर एक वीक्षक नियुक्त करें।

5. यह पुनः सुनिश्चित किया जाता है कि इस परीक्षा के लिये नेगेटिव मार्किंग का ही प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये कुल प्राप्तांको में से 1 अंक घटाया जावेगा।

प्रदीप कुमार बोरड IAS
आयुक्त कॉलेज शिक्षा; एवं
विशिष्ट शासन सचिव ,उच्च शिक्षा

पत्रांकः CCE/ P&C/ ISDC/SLGKC/ 2019/ 900-01 Date: 06.07.2019

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक HRD/ PI/ P&C/ Acad./ Admn./RUSA आकाशि, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर एवं भरतपुर।
8. संबंधित महाविद्यालयों के प्रभारी अधिकारी, कालेज समूह, आकाशि, जयपुर को निर्देशानुसार पत्र की प्रति भेजकर लेख है कि संबधित महाविद्यालयों से संपर्क कर आदेश की क्रियान्विति सुनिश्चित करावें।
9. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

6/7/19

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ